



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 21 राँची, मंगलवार, 7 माघ, 1947 (श०)
27 जनवरी, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

10 नवम्बर, 2025

संख्या-5/आरोप-1-23/2017-33692 (HRMS)--श्री नीत निखिल सुरीन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-130/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ईटकी, राँची के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-648/ग्रा०वि०, दिनांक 08.02.2017 के माध्यम से उपायुक्त, राँची के पत्रांक-217/स्था०, दिनांक 19.12.2016 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। श्री सुरीन के विरुद्ध आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोप निम्नवत् है-

आरोप सं०-1- ईटकी प्रखण्ड अन्तर्गत कुल 9 (नौ) पंचायतों में 46 ग्रामों में बरसात से पूर्व प्रति ग्राम 5 डोभा के अनुसार कुल 230 डोभा निर्माण का लक्ष्य निर्धारित था। इनके द्वारा 94 डोभा पूर्ण होने का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। दिनांक 25.11.2016 के एम०आई०एस० प्रतिवेदन के अनुसार मात्र 49 डोभा ही पूर्ण पाया गया। इनके द्वारा जानबूझकर गलत प्रतिवेदन देकर अनियमितता बरती गई है ।

राज्य सरकार की जल संचयन संबंधी महत्वकांक्षी योजना डोभा निर्माण में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ईटकी द्वारा अभिरूचि नहीं ली गई एवं लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण

इटकी प्रखण्ड में मनरेगा अन्तर्गत डोभा निर्माण का कार्य लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो सका, जिसके लिए श्री सुरीन प्रथम दृष्टया दोषी है।

आरोप संख्या-02- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ईटकी द्वारा श्री परतो मिंज, पिता-नगु मिंज के खेत में सिंचाई कूप (योजना कोड संख्या 1516120064) में एफ०टी०ओ० संख्या 292953 दिनांक 28.07.2016 द्वारा 4 (चार) आपूर्तिकर्ता मो० खालीद को 29,999 रुपये, कल्याण इन्टरप्राइजेज को 800 रुपये, जिया इन्टरप्राइजेज को 51,015 रुपये एवं मो० ताहीर अन्सारी को 74,169 रुपये का भुगतान किया गया है, जबकि श्री नीत निखिल सुरीन, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ईटकी दिनांक 28.07.2016 को अवकाश पर थे।

इनके द्वारा दिनांक 28.07.2016 को अवकाश पर रहते हुए मनरेगा अन्तर्गत सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को कुल 1,55,983 रुपये का भुगतान किया गया है, जो वित्त नियमावली में उपलब्ध प्रावधानों के प्रतिकूल है। इनका उक्त कृत्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में है।

आरोप संख्या-03- ईटकी प्रखण्ड अन्तर्गत कुली पंचायत के कुली ग्राम में कोल्हा उरांव के खेत में सिंचाई कूप (योजना कोड संख्या 3401002018/IF/7080900966747) निर्माण की प्राक्कलित राशि 4,23,600 रुपये है एवं योजना की स्वीकृति का वर्ष 2014-15 है। उक्त कूप में पाँच फीट खुदाई का कार्य करने के बाद पानी भर गया है। योजना अपूर्ण है, परन्तु एम०आई०एस० में पूर्ण प्रतिवेदित किया गया है। एम०आई०एस० के अनुसार मजदूरी मद में 5688 रुपये एवं सामग्री मद में 1,824 रुपये कुल 7512 रुपये का भुगतान किया गया है, जबकि उक्त योजना का मापी नहीं की गई है।

इनके द्वारा उक्त सिंचाई कूप में बिना मापी पुस्त में मापी के संधारण के 7512 रुपये भुगतान किया गया है एवं अपूर्ण सिंचाई कूप को बगैर मापी के एम०आई०एस० में पूर्ण प्रतिवेदित किया गया है। उक्त कृत्य के लिए श्री सुरीन प्रथम दृष्टया दोषी है।

आरोप संख्या-04- ईटकी प्रखण्ड अन्तर्गत कुली पंचायत के भण्डरा ग्राम में बन्धु उरांव के खेत में सिंचाई कूप (योजना कोड संख्या 3401002018/IF/7080900970394) निर्माण की प्राक्कलीत राशि 4,23,600 रुपये है एवं योजना की स्वीकृति का वर्ष 2014-15 है। उक्त कूप में 21 फीट खुदाई का कार्य किया गया है। योजना अपूर्ण है, परन्तु एम.आई.एस. में पूर्ण प्रतिवेदित किया गया है। एम.आई.एस. के अनुसार मजदूरी मद में 38,880 रुपये का भुगतान किया गया है, परन्तु उक्त योजना का मापी पुस्त में 15,326 रुपये का ही मापी का उल्लेख किया गया है।

इनके द्वारा उक्त सिंचाई कूप में मापी पुस्त में मजदूरी मद में उल्लेखित राशि 15,326.00 रुपये के बदले 38,880.00 रुपये का भुगतान किया गया। मापी पुस्त में दर्ज राशि से 23,554.00 रुपये अधिक राशि का भुगतान किया गया। अपूर्ण सिंचाई कूप को एम.आई.एस. में पूर्ण प्रतिवेदित किया गया। इनका उक्त कृत्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में है।

आरोप संख्या-05- ईटकी प्रखण्ड अन्तर्गत ईटकी पश्चिमी पंचायत में मनरेगा अन्तर्गत प्रेमचन्द्र महतो का सिंचाई कूप निर्माण (योजना कोड संख्या 7080900964798) की प्राक्कलित राशि 4.489 लाख एवं योजना की स्वीकृति का वर्ष 2014-15 है। उक्त कूप में 17-18 फीट खुदाई का कार्य किया गया है। कूप का जोड़ाई का कार्य नहीं किया गया है। स्थल पर कुछ बोल्टर रखा हुआ है। योजना में प्राक्कलित राशि का लगभग 75 प्रतिशत राशि की निकासी की जा चुकी है, लेकिन जाँच की तिथि को मात्र अबतक 17-18 फीट खुदाई का कार्य किया गया है।

स्थल निरीक्षण एवं अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस सिंचाई कूप की वास्तविक गहराई 17-18 फीट ही है, जबकि कनीय अभियंता द्वारा 31 फीट मापी दर्ज किया गया है।

उक्त योजना में अभिलेख के अनुसार 3,22,395.00 रुपये (मजदूरी मद में 1,88,280.00 रुपये एवं सामग्री मद में 1,34,115.00 रुपये) का मापी दर्ज किया गया है तथा एम0आई0एस0 के अनुसार कुल 336755.00 रुपये (मजदूरी मद में 2,02,640.00 रुपये एवं सामग्री मद में 1,34,115.00 रुपये) भुगतान किया गया है।

इनके द्वारा उक्त सिंचाई कूप में मापी पुस्त में मजदूरी मद में उल्लेखित राशि 1,88,280.00 रुपये के बदले 2,02,640.00 रुपये का भुगतान किया गया है। मापी पुस्त में निहित राशि से 14,360.00 रुपये का अधिक राशि का भुगतान किया गया।

इनके द्वारा उक्त योजना के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण अधिक राशि का भुगतान किया गया। इनका उक्त कृत्य सरकारी राशि के गबन करने जैसे कृत्य के श्रेणी में है।

आरोप संख्या-06- वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल 92.31 लाख रु0 भुगतान के विरुद्ध 46.66 लाख रु0 (50.55 प्रतिशत) Delayed है, जो अत्यंत खेद जनक है। Delayed Payment में वर्तमान में राँची जिला का प्रतिशत 15.57 है, जबकि ईटकी प्रखण्ड में Delayed Payment 50.55 प्रतिशत है।

इनके द्वारा मनरेगा कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण मनरेगा मजदूरों को विलम्ब से मजदूरी भुगतान हो रहा है, जिससे मनरेगा मजदूरों को कठिनाई हो रही है। मनरेगा मजदूरों को विलम्ब से मजदूरी भुगतान के लिए श्री सुरीन प्रथम दृष्टया दोषी है।

आरोप संख्या-07- दिनांक 22.11.2016 के एम०आई०एस० प्रतिवेदन के अनुसार ईटकी प्रखण्ड में अबतक मनरेगा अन्तर्गत 865 परिसम्पत्ति का निर्माण किया गया है। परन्तु 865 परिसम्पत्ति में से 527 परिसम्पत्ति का ही Assets ID Create किया गया है। अबतक 94 परिसम्पत्ति का ही Geo-Tagging (10.87 प्रतिशत) किया गया है। ईटकी प्रखण्ड में वास्तविक रूप में मनरेगा अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्ति एवं एम०आई०एस० में परिलक्षित हो रहे परिसम्पत्ति की संख्या में अंतर है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ईटकी प्रखण्ड में मनरेगा अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों की संख्या संदेहास्पद है।

Geo MGNREGA में इनके अनुश्रवण की कमी के कारण मनरेगा अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का Geo Tagging में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं होने के लिए श्री सुरीन प्रथम दृष्टया दोषी है।

आरोप संख्या-08- इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत ईटकी प्रखण्ड में वित्तीय वर्ष 2011-2012 से 2015-16 तक में काफी धीमी गति से प्रगति हुई है। विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2015-16 में 78 स्वीकृत योजना के विरुद्ध केवल दो योजना पूर्ण की गई है तथा 2011-12 में 120 योजना के विरुद्ध मात्र 25 योजना पूर्ण हुई है। इंदिरा आवास योजना में प्रखण्ड की धीमी प्रगति श्री सुरीन के कर्तव्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। 2011-12 में स्वीकृत 120 आवास के विरुद्ध 95 आवास अब तक अपूर्ण है। उक्त योजना में इनके द्वारा अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण की

कमी के कारण गरीब लाभुकों का आवास निर्माण कार्य अपूर्ण है। जिसके लिए श्री सुरीन प्रथम दृष्टया दोषी है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इटकी प्रखण्ड में संचालित राज्य सरकार कल्याणकारी, महत्वकांक्षी एवं जनोपयोगी योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण में श्री नित निखिल सुरीन, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, इटकी का कर्तव्य अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीन एवं शिथिलता को दर्शाता है। उपरोक्त तथ्यों से यह भी स्पष्ट है कि उक्त विभिन्न योजनाओं में राशि भुगतान में अनियमितता बरती गई है, जो सरकारी राशि के गबन करने के श्रेणी में है, जिसके लिए श्री सुरीन प्रथम दृष्टया दोषी है।

श्री सुरीन के उक्त कृत्य से इटकी प्रखण्ड का विकास कार्य प्रभावित हुआ है। जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रगति लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो पाई है, जिसके लिए भी श्री सुरीन प्रथम दृष्टया दोषी है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1910, दिनांक 03.03.2017 द्वारा श्री सुरीन से स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री सुरीन के पत्रांक-328 दिनांक 27.12.2019 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री सुरीन के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-1152, दिनांक 12.02.2020 द्वारा उपायुक्त, राँची से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, राँची के पत्रांक-1585, दिनांक-27.11.2021 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री सुरीन के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं प्रतिवेदित किया गया।

श्री सुरीन के विरुद्ध गठित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-2111(HRMS), दिनांक 22.02.2022 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-263, दिनांक 09.11.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा एक पक्षीय निर्णय के आधार पर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। उपस्थापन पदाधिकारी के द्वारा विभागीय कार्यवाही के पश्चात् समर्पित मंतव्य पर कोई जाँच अथवा टिप्पणी/निष्कर्ष अंकित नहीं किया गया है, केवल अग्रतर कार्रवाई हेतु विभाग को उपलब्ध करायी गयी है।

समीक्षोपरांत, झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-18(1) में अंकित प्रावधान के आलोक में श्री सुरीन के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा समर्पित मंतव्य विभागीय पत्रांक-899, दिनांक 16.02.2023 द्वारा विभागीय जाँच पदाधिकारी को पुनः वापस करते हुए विधिवत जाँचोपरांत प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु अनुरोध किया गया।

विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरांत उनके पत्रांक-522, दिनांक 04.07.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री सुरीन के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप सं0-01, 05, 07 एवं 08 को प्रमाणित नहीं, प्रतिवेदित किया गया तथा आरोप सं0-02, 03 एवं 04 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया एवं आरोप सं0-06 को आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

श्री सुरीन के विरुद्ध गठित आरोप, इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री सुरीन के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-5373, दिनांक 11.08.2025 द्वारा श्री सुरीन से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई है, परन्तु श्री सुरीन द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित नहीं किया और न ही उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु समय की माँग की गई। उक्त से स्पष्ट है कि प्रस्तावित दण्ड के बिन्दु पर श्री सुरीन को कुछ नहीं कहना है।

अतः श्री नीत निखिल सुरीन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-130/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ईटकी, राँची के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री नीत निखिल सुरीन, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	NEET NIKHIL SURIN 20080400115	श्री नीत निखिल सुरीन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-130/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ईटकी, राँची के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:20060400057
